यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी** के माह 02/2017 से माह 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 02.02.2019 से 06.02.2019 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.02.2017 से 10.02.2017 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से माह 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–** इकाई द्वारा जिला महिला चिकित्सालय में आये जनपद के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

3. (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	0	0	229.78	211.75	18.03	30.00	30.00	00
2016-17	0	0	242.44	218.30	24.14	15.00	15.00	00
2017-18	0	0	251.39	243.46	07.93	15.00	15.00	00
2018-19 (Up to 01/19)	0	0	221.34	178.47	-	00	00	00

नोट– स्थापना मद की वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की गयी।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2016-17	NHM	27.95	30.79	58.74	50.53	08.21
2017-18		08.21	35.79	44.00	16.98	27.02
2018-19 (up to 12/2018)		27.02	22.64	49.66	26.03	23.63

(iii) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**सी**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी**

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **05/2017 एवं 06/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय आदि योजना, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 01 चिकित्सालय में उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निस्तारण के लिए अनुबन्धित मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना।

अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 08 अगस्त 2016 को आहूत बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सालयों के सापेक्ष जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के अनुसार एक प्रोटोकाल बनाना सुनिश्चित करेगा जिससे अस्पतालों में उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबन्धन हेतु चरणवद्ध तरीके से निस्तारण हेतु अनुपालन सुनिश्चित की जाए।

जिला महिला चिकित्सालय, पौडी में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय परिसर के बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति में पंजीकरण कराया गया तथा समिति एवं चिकित्सालय के मध्य दिनांक 01 जुलाई 2018 को एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित की गयी। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार समिति द्वारा राजकीय अवकाश के दिनों को छोडकर प्रत्येक दूसरे दिन चिकित्सालय से कूडा/चिकित्सा अपशिष्ट उठान किया जाएगा। जिसके लिए उक्त समिति को धनराशि रु0 30,180 प्रतिमाह की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा। अनुबन्ध में समिति द्वारा ससमय कूडा निस्तारण/उठान न किये जाने के लिए किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया था। सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुबन्धित संस्था मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दूसरे दिन चिकित्सालय से कूडा उठान नहीं किया जा रहा था। कूडा उठान से सम्बन्धित पंजिका के अनुसार प्रत्येक माह **पाक्षिक** रुप से माह में एक अथवा दो बार ही कूडा उठान किया जा रहा है। माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2018 में केवल एक बार ही संस्था द्वारा कूडा उठान किया गया था। इससे स्पष्ट था कि चिकित्सालय का कूडा एक एक माह तक चिकित्सालय में ही पडा रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा चिकित्सालय के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उदासीन रवैया अपनाया जा रहा था। अनुबन्ध के माह जुलाई 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए 07 माहों के लिए धनराशि रु0 2,11,260 का भुगतान, समिति द्वारा देयक प्रस्तुत न किये जाने कारण भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अनुबन्ध के अनुसार प्रत्येक दूसरे दिन कूडा उठान के लिए समिति को बार बार पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु समिति

द्वारा अभी तक अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि समिति द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के लिए अनुबन्ध में कोई दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः देयक प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

अतः चिकित्सालय में उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निस्तारण के लिए अनुबन्धित मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 02 निविदा प्रक्रिया का पालन किये बिना अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत रु0 9. 36 लाख के 05 कार्यो का निष्पादन कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3(10) के अनुसार अधिप्राप्ति हेतु निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा को एक साथ अधिप्राप्ति किया जाए। अधिप्राप्ति **का प्रयास** मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार रु0 25 लाख से कम कीमत की अधिप्राप्ति के लिए व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर **प्रदर्शित** की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय –1 के बिन्दु अनुसार यह प्रावधान है कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अथवा अभिहित केन्द्रीय क्रय संगठन द्वारा सामान्य रूप से राज्य सरकार के उपयोग में आने वाली सामाग्री की अधिप्राप्ति के लिए विश्वसनीय समाग्री अधिप्राप्ति के स्रोतों को स्थापित करने हेतु सामग्रीवार पात्र एवं सक्षम आपूर्तिकर्ताओं की सूचीया तैयार कर रखी जायेगी। इस प्रकार के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु प्रथम दृष्टया पात्र होगें। नियम 03 के बिन्दु 10 में स्पष्ट प्रवधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही **किया जायेगा** और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागाों में विभक्त किया जायेगा। महानिदेशालय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि तकनीकि स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य निष्पादित कराये जाये।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय पौड़ी के निर्माण सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि वर्ष 2018–19 के लिए पत्राकं सख्या लधु निर्माण/2019–19 दिनॉक 09.07.2018

में जिला महिला चिकित्सालय के अनावासीय मुख्य भवन मद में चिकित्सालय द्वारा निम्न कार्य के तकनीकी स्वीकृत हेतु अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय देहरादून उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया। उक्त कार्य हेतु स्वास्थ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय देहरादून उत्तराखण्ड **जुलाई** 2018 में तकनीकी स्वीकृत प्राप्त हुई। आगे जाचॅ में पाया गया कि उक्त कार्य का निष्पादन कोटेशन के आधार पर चयनित ठेकेदारों से कराया गया। जबकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय –1 के बिन्दु अनुसार यह प्रावधान है कि इस प्रकार के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सामग्री की अधिप्राप्ति की जायेगी एवं स्वास्थ चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय देहरादून उत्तराखण्ड स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि **तकनीकी** स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार कार्य निष्पादित कराये जाये। जिसका अनुपालन चिकित्सालय द्वारा नही किया गया। बिना निविदा के कार्य कराये गये ऐसे कराये गये कार्यो का विवरण निम्न है।

क्र0स	**कार्यो का नाम**	**तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणिक धनराशि**	**फर्म का नाम**	**कार्य पर व्यय धनराशि**
01	जिला महिला चिकित्सालय पौडी के मुख्य भवन में शौचालयों की मरम्मत एवं अन्य मरम्मत कार्य	213500	मैसर्स अख्तर कुरैशी	191981
02	जिला महिला चिकित्सालय पौडी के ओ पी डी कक्ष में फाल्स सीलिग एवं एल्यूमिनियम पार्टिशन का कार्य	151500	मैसर्स हनीफ	151165
03	जिला महिला चिकित्सालय पौडी के मुख्य भवन के लेवर रूम में टाईल्स का कार्य	194400	मैसर्स सईद हुसैन	189135
04	जिला महिला चिकित्सालय पौडी के चिकित्सालय भवन के सैप्टिक टैक एवं सोक पिट्स का निमार्ण कार्य	191000	मैसर्स अख्तर कुरैशी	168225
05	जिला महिला चिकित्सालय पौडी के मुख्य भवन में शौचालयों की मरम्मत एवं अन्य मरम्मत कार्य	235200	मैसर्स हनीफ	235637
योग		985600		**936143**

इस प्रकार से बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किये तथा बिना अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किये चिकित्सालय द्वारा धनराशि रु0 9.36 लाख के 05 कार्यो का निष्पादन कराया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य जनहित में सम्पादित कराये गये थे। यह भी अवगत कराया कि भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली का पालन सुनिश्चित करते हुए मरम्मत कार्यो का निष्पादन किया जाएगा।

अतः बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किये तथा बिना अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किये धनराशि रु0 9. 36 लाख के 05 कार्यो का निष्पादन कराये सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
150	2016–17	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
150 / 2016–17	IIB-01	प्रस्तुत अनुपालन आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रस्तर निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गयी है।		

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 कल्पना गुप्ता	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका	20.02.2016 से 16.05.2017 तक
2	डा0 पी0 आर0 पाण्डेय	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका	17.05.2017 से 28.05.2018 तक
3	डा0 मेघना असवाल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका	29.05.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

SS1/0259/18-19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र